



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 953]

No. 953]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 23, 2011/ज्येष्ठ 2, 1933

NEW DELHI, MONDAY, MAY 23, 2011/JYAISTHA 2, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2011

का.आ. 1152(अ).—केन्द्र सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 2 की उप-धारा (7) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 की उप-धारा (3) के खंड (क) के सीमित उद्देश्यों हेतु सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 3 के खंड (1) के तहत निगमित सीमित देयता भागीदारी, जो कि एक कॉर्पोरेट निकाय है, को उक्त खंड के उद्देश्यों हेतु, विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. 2/2/2011-सीएल-5]

जे. एन. टिक्कु, संयुक्त निदेशक

टिप्पण : प्रधान अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1883 दिनांक 20 दिसम्बर, 1965 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2011

S.O. 1152(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (7) of Section 2 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby specifies, for the purpose of the said clause, the Limited Liability Partnership, a body corporate, incorporated under clause (1) of Section 3 of Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), for the limited purpose of clause (a) of sub-section (3) of Section 226 of the Companies Act, 1956.

[F. No. 2/2/2011-CL. V]

J. N. TIKKU, Jt. Director

Note :—The Principal notification was published vide number G.S.R. 1883 dated the 20th December, 1965.